कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9/उपा0/बीज/ज0शि0– 55/2016 /कृ0 पटना दिनांक मार्च, 2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.से.
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 बायर क्रॉप साईंस लि0
C/o – एन0 बी0 कनसर्न रेलवे अस्पताल के पीछे,
राजेन्द्र नगर, पटना

विषय :– **बीज अनुज्ञप्ति निलंबित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके प्रतिष्ठान द्वारा आपूरित की गयी धान एराईज नैनो (Arize Naino) प्रभेद का बीज पटना जिला के दनियावॉ प्रखंड के किसानों द्वारा लगाया गया था, जिससे तैयार फसल खखरी होने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आलोक में किये गये जांच में प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है।

कृषि निदेशालय के पत्रांक 674 दिनांक 16.02.2017 से पूछे गये स्पष्टीकरण के उतर में आपके द्वारा विरोधाभाषी स्पष्टीकरण दिया गया है। जिसमें एक तरफ यह कहा गया है कि बायर कम्पनी का ही बीज किसानों द्वारा उपयोग किया गया है इसका प्रूफ दिया जाय तथा दूसरी तरफ फसल खखरी होने की विभिन्न कारणों का उल्लेख किया गया है, जिसे संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। नई फसल प्रभेद एराईज नैनो का बीज की बिक्री राज्य में किसकी अनुशंसा पर की गयी है यह भी स्पष्ट नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में बायर क्रॉप साईंस लि0 की बीज अनुज्ञप्ति सं0 64/2008 वैधता तिथि 05.06.2017 को बीज नियंत्रण आदेश 1983 की कंडिका 15 के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

साथ ही निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
ह0/–
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 942 दिनांक 2 मार्च, 2017

प्रतिलिपिः– 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

2.3.17
कृषि निदेशक, बिहार पटना।